संख्या– 565 बी/ स.वि.क.नि.–6 / 2017

प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव
संस्थागत वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2017

विषय: **प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के दिनांक 31–3–2016 तक लिए गए तथा दिनांक 31–3–2017 तक बकाया फसली ऋणों को रु0 1 लाख की सीमा तक मोचन किए जाने संबंधी निर्णय शासनादेश संख्या–134(ख)01(ख)/एस0वी0के0एन–6/2017, दिनांक 07–4–2017 द्वारा प्रसारित किया गया था। उक्त के क्रम में एक विस्तृत योजना आपको शासनादेश संख्या–540बी/सविकनि–6/2017, दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार प्रेषित योजना में समिति के दायित्व, जागरूकता अभियान, अनुश्रवण हेतु रिपोर्ट का प्रेषण एवं शिकायत निवारण संबंधी बिन्दुओं के बारे में निम्नवत दिशा–निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये जाते हैं–

2. (क) **जिला स्तरीय समिति**:– जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप निम्नवत् है:–

क्र0	जिला स्तरीय समिति	भूमिका
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ)	सचिव
3.	जिला कृषि अधिकारी (डीएओ)	सह–सचिव
4.	उप कृषि निदेशक (डीडीए)	सदस्य
5.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)	सदस्य
6.	अग्रणी जिला प्रबन्धक (एलडीएम)	सदस्य
7.	सहायक निबन्धक/आयुक्त, सहकारी समितियां	सदस्य

8.	महाप्रबन्धक, सहकारी बैंक	सदस्य
9.	जिला समन्वयक (सभी बैंको से)	सदस्य
10.	जिला गन्ना अधिकारी (डीसीओ)	सदस्य
11.	जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ)	सदस्य
12.	जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ)	सदस्य
13.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ), एनआईसी	सदस्य
14.	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य

2. **(ख) जिला स्तरीय समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व–**

(i) योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के अनुश्रवण में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

(ii) जिला स्तर पर निर्णय लेने में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

(iii) कृषि विभाग से किसानों के फसल–ऋण सम्बन्धी डाटा प्राप्त होने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु योजना के मानदण्डों के अनुसार विचार–विमर्श करेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा किसानों की निर्णीत अंतिम सूची को समिति के सचिव एवं सह–सचिव को हस्तान्तरित किया जायेगा। समिति का सह–सचिव डाटा को डिजिटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान आदेश संबंधित ऋण प्रदाता संस्था को निर्गत करेगा।

(iv) जब भी पोर्टल पर किसानों से संबंधित विवरण प्राप्त होगा, जिला स्तरीय समिति किसानों के उस डाटा पर योजना के मानदण्डों के अनुसार विचार–विमर्श करेगी। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी अभिलेखीय उद्देश्य से वेब–पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

(v) योजना में उल्लिखित परिभाषानुसार किसानों के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में कोई भी निर्णय योजना के मानदण्डों के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा ही किया जायेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार, एनआईसी के वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किसानों की सूची के डाटा का विधिमान्यकरण (पुष्टीकरण) एवं मोचित धनराशि का अर्ह किसानों के खाते में अन्तरण जिला स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व होगा।

(vii) जिला स्तरीय समिति ऐसे किसानों के सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगी जिन्होंने विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न भूखण्डों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष एक से अधिक खातो से ऋण प्राप्त किया है, उन्हें अधिकतम समेकित रूपया एक लाख की धनराशि की सीमा तक आनुपातिक आधार पर मोचन प्राप्त होगा।

(viii) समुचित जागरूकता अभियान में कैम्प लगाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण संबंधी पत्र (परिशिष्ट–क/ख) वितरित किए जायेंगें। योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

(ix) उक्त के अतिरिक्त योजना (scheme) में यथास्थान उल्लिखित अपने कार्यो के लिये जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

योजना के जागरूकता अभियानों के आयोजन के संबंध में निम्नवत कार्यवाही की जायेगी–

जागरूकता अभियान का आयोजन एवं विभिन्न पत्रों का वितरण–

जागरूकता अभियान निम्न चरणों में आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम चरण–

संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 के साथ संलग्न योजना (scheme) के कार्यान्वयन प्रक्रिया संबंधी अध्याय के बिन्दु–5 के उप बिन्दु (4)–च, में विहित प्रक्रिया के अनुपालन के उपरान्त चिन्हित आधार सीडेड अर्ह किसानों के खाते में धनराशि अंतरण के उपरान्त लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जायेगी तथा सात दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखाओं में जिला स्तरीय समिति द्वारा समुचित जागरूकता अभियान आयोजित किया जायेगा। जनपद स्तर पर एक व्यापक कार्यक्रम कराया जाये जिसमें कैम्प लगाकर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय। साथ ही तहसील मुख्यालयों पर भी कैम्प आयोजित कर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय। उक्त विवरण पत्रों को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा।

द्वितीय चरण–

ऐसे किसानों की सूची, जिन्होंने प्रथम चरण में सूचना पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अपने 'आधार विवरण' का अंकन एक माह में करा लिया हो, उनके प्रकरणों को भी 'द्वितीय जागरूकता अभियान' में कैम्प आयोजित कर योजना में निर्धारित मानदण्डों एवं विहित प्रकिया के अनुसार उपरोल्लिखि प्रथम चरण की तरह जनपद स्तर पर तथा तहसील मुख्यालय स्तर पर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय।